मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 02-.04.2016

क्र. एफ 10-5/2011/अ-ग्यारहः राज्य शासन द्वारा मेसर्स सांवरिया एग्रो ऑयल लि., मण्डीदीप, जिला रायसेन द्वारा उन्हें दी गई सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

"इकाई द्वारा दिनांक 21.04.2005 को उत्पादन प्रारंभ कर बीमार इकाई के पुर्नवास पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता पर गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रदान की गई सुविधा का लाभ तत्समय स्थापित इकाई की पूर्ण क्षमता पर प्राप्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि तत्समय इकाई की गतिविधि अपात्र श्रेणी में होने से उसे उद्योग संवर्धन नीति, 2004 में घोषित सुविधाओं की पात्रता न होने से नीति में घोषित सुविधाओं की यथा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता, प्रवेश कर छूट से वंचित रखा गया था।

दिनांक 01.04.2008 से विस्तारित क्षमता अंतर्गत किये गये निवेश पर उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के प्रावधान अनुसार विभिन्न सुविधाओं का लाभ भी इकाई द्वारा विस्तारित क्षमता पर प्राप्त किया जा रहा है।

उपरोक्त के दृष्टिगत इकाई की मांग अनुसार उसे दिनांक 21.04.2005 को प्रारंभ किये गये उत्पादन पर नवीन इकाई की भांति प्रवेश कर से छूट, उद्योग निवेश संवर्धन सहायता का लाभ की पात्रता नहीं होगी, क्योंकि उद्योग संवर्धन नीति, 2004 अंतर्गत दिनांक 24.10.2007 के पूर्व साल्वेंट प्लांट अपात्र श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत रहे है। अत: इकाई का आवेदन अमान्य किया जाता है।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 10-5/2011/अ-ग्यारह भोपाल, दिनांक 02-04.2016

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ वाणिज्यिक कर विभाग/किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मेसर्स सांवरिया एग्रो आॉयल लिमि., मण्डीदीप जिला रायसेन।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग